हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी तामिल कर नम्बर/दिनांक

3/2/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट और संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया।

वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि को पूर्व में ही स्वीकृत रास्ता लगता है, अतः कानूनन नया रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है।

वकील प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी के द्वारा निवेदन किया गया कि स्वीकृत रास्ता मौके पर चालू नही है, मौके पर उबड़-खाबड़ एवं बड़े-बड़े टीले है, फलतः उपयोग में लिए जाने योग्य है। नजरी नक्शा में दर्शाया गया दूसरा रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु स्वीकृत नही है एवं वन विभाग की भूमि में से होकर गुजरता है, जिसे कभी भी वन विभाग द्वारा बन्द किया जा सकता है।

तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट, नज़रीनक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि के किला नं 25 तक चक 22 ए-बी के प.न. 320/438, 321/438 चक 24 ए-ए के प.नं. 322/438, 323/438 के कि.न. 21 ता 25 व प.नं. 324/438 के कि.न. 21 ता 25 व 1, 10, 11, 20 एवं 21 गै.मु. रास्ता स्वीकृत जाता है। प्रार्थी नवीन रास्ता निकटतम व सुविधा हेतु चाहता है, आत्यांतिक आवश्यकता नही है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण में पाया गया कि स्वीकृत रास्ता [illegible] विभाग की भूमि में से भी [illegible] गुजरता है, जिसके निकट भविष्य [illegible] की संभावना प्रतीत नही होती।

अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय का मत है कि प्रार्थी की भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:57:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी तामिल नम्बर/दिनांक
	स्वीकृत गैरमुमकिन रास्ते के साथ-साथ वैकल्पिक अस्वीकृत रास्ता भी लगता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता केवल सुविधा के लिए है। वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होना एवं आत्यंतिक आवश्यकता का होना सिद्ध होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 'क' रा.का.अ. के तहत अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।	

-:आदेश:-

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' रा.का.अ. एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

3/2/21

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:57:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner